

उत्तरांचल शासन

वित्त अनुभाग-3

संख्या-1260 XXVII(3)पें0/2004

देहरादून:दिनांक⁰⁷ जून, 2004

कार्यालय-ज्ञाप

Government of Uttaranchal

Finance Section-3

N0- 1260 / XXVII(3)P/2004

Dehradun: Dated 7 June, 2004

Office Memorandum

विषय:—राज्य सरकार के सिविल/ पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त अनुभाग- 3, उत्तरांचल शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1066/वि0 अनु0-3/2003, दिनांक 24 अक्टूबर, 2003 द्वारा महंगाई राहत की एक किश्त 01 जुलाई, 2003 से स्वीकृत की गयी थी, के क्रम में श्री राज्यपाल ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 अक्टूबर, 2003 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जनवरी, 2004 से महंगाई राहत की एक और किश्त 02 प्रतिशत (दो प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2004 से राहत की दर बढ़कर 61 प्रतिशत हो गई है।

2— महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रुपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3— यह आदेश न्यायालय के न्यायिधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4— यह आदेश शिक्षा/ प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/ पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

Subject: Grant of Dearness Relief to state Government civil/ family pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No-1066/ Vitt.Anu-3/2003, dated 24 October, 2003 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from 01 July, 2003 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index 306.66 (as on 01.01.1996) at the rate of 2% (percent) with effect from 01 July, 2004 in super session of the rates mentioned in the O.M. dated 24-10-2003 referred to above accordingly the rate of dearness of pension/family pension w.e.f. 01-01-2004 has risen to 61%.

2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service commission, employees of local bodies and Public undertaking/ corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4- These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from state under the education/ Technical Education Department whose Pension/ Family pension is at par with the pensioners of the state Government.

5- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-252/दस-10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

6- महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत लागू रहेंगे।

5- As per orders issued in O.M. NoA-1-252/X-10(3)-81 dated April 27 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6- Other terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

एल०एम०पंत
अपर सचिव

L.M.Pant
Addl. Secretary

1260

संख्या- XXVII(3)पें/2004, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


- 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 2-समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
- 3-क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल।
- 4- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्यें, उत्तरांचल।
- 5-महोलखाकार, उत्तरांचल, ओबराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6-समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
- 7-उप-निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियाँ मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

No-1260 / XXVII(3)P/2004, the date.

copy forwarded to following for information and necessary action.


- 1-All Principal Secretaries/ Secretaries, Government of Uttaranchal.
- 2-All Head of Department/Offices, Uttaranchal.
- 3-Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/ Kumaon Division.
- 4-Director, Treasury and Finance services, Uttaranchal.
- 5-Accountant General Uttaranchal, Oberoy Building, Saharanpur Road, Mazra, Dehradun. along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
- 6- All Treasury Officers, Uttaranchal.
- 7-Deputy Director, Govt.Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.

आज्ञा से,


(एल०एम०पंत) 27/6/2004

अपर सचिव

By Order,


(L.M.Pant) 27/6/2004
Addl. Secretary